न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./144/2017/बाड़मेर

अपीलांट

1. चंदनसिंह का.मु.
   1/1 शैतानसिंह
   1/2बाबूसिंह
   1/3नारायणसिंह
   1/4नखतसिंह
   1/5मानसिंह पिसरान स्व श्री
   चंदनसिंह
2. जेठमालसिंह उम्र 70 साल
   पुत्र स्व. श्री भीखसिंह
3. जोगराजसिंह पुत्र स्व. श्री
   पर्वतसिंह उम्र 75 सालजातियान
   राजपूत निवासीयान मारूडी
   तहसील व जिला बाड़मेर
   राज्य राजस्थान

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राजस्थान राज्य जरीय तहसीलदार
बाड़मेर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 261/2007 बअनवान चंदनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सज्जनसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 22.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हस्तगत वाद रेस्पोडेंटस वास्ते खातेदारी खेत खसरा संख्या 312 रकबा 07.02 बीघा के स्थान पर 87.03 बीघा की घोषणा करने व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। रेस्पोडेंटस तहसीलदार बाड़मेर द्वारा जबाव कब प्रस्तुत किया गय इसके संबंध में आदेशिका में कहीं वर्णन नहीं है तथा न ही प्रस्तुत जबाव में कहीं तारीख का अंकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है, और न ही प्रस्तुत जवाब की प्रति वकील वादीगण को दी गई, तथा अग्रीम कार्यवाही विवादक विवरण एवं साक्ष्य प्रस्तुत करवाये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2012 वास्ते मौका निरीक्षण को पालना किये बगैर आनन फानन में बिना दस्तावेजी व परिस्थितियजन्य साक्ष्य पर गौर किये आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.05.2017 पारित किया गया।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण राजकीय भूमि हड़पने की नीयत से हस्तगत वाद पेश किया गया जबकि वादीगण अतिक्रमी है। अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मौका रिपोर्ट रेस्पोडेंट के पक्ष मे है। दावा घोषणा का है जो साक्ष्य से साबित होना है। यदि न्यायालय प्रकरण को रिमाण्ड करता है तो अपीलांटगण पर भारी कॉस्ट लगाकर रिमाण्ड करे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 459/2003 में मेरे वकील द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2017 की जानकारी मुझ अपीलांट को नहीं दी गई तथा न ही मेरे द्वारा वकील से सम्पर्क ही किया गया जिसके चलते अपील प्रस्तुत करने में देरी हो गई जो कि मेरे द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गई। मुझे सर्वप्रथम दिनांक 01.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

09.2017 को मेरे वकील के जरीये जानकारी मिलते ही पूर्ण तत्परता के साथ मेरे द्वारा नकल आवेदन प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 08.09.2017 को नकल प्राप्त की जाकर सूचना प्राप्त एवं नकल प्राप्ती से म्याद की गणना की जाकर पूर्ण तत्परता के साथ अपील प्रस्तुत की जा रही है। वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय मारूड़ी में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांटगण/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण/वादी की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 261/2007 बअनवान चंदनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.08.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर